

500 Rs.



NOTED

। श्री।

॥ विक्रयपत्र बाबत भूमि स्थित ग्राम नेरगुराडिया ते. मूह से. नं. ६० ॥

पंचायतघोत्र- बांबाचन्दन

क्लाक- मूह

क्रोमत रूपये - २७०००, सत्ताईसहजार रूपये बूकते पेशतर मे घरपर लेलिये हैं व बाजासूल्य

स्टाम्प रूपये- २०२५,

बबनचन्द्र पिता शंकरराव बोराडे जाति मराठा

निवासी नेरगुराडिया हाल मु. हन्दौर

-- विक्रीदार

--ओर--

मदनलाल पिता घासीरामजी जाति कुलमी

निवासी क्रोदरिया ते. मूह जिला हन्दौर

-- खरीददार

मै विक्रीदार यह विक्रयपत्र भूमि का रिक देता हूँ कि निम्न लिखित सर्वे नंबरों व क्षेत्रफल वाली भूमि ग्राम नेरगुराडिया ते. मूह स्थित की मेरी मालकी व कब्जे की मेरे हिस्से व कब्जे वाली बापसी बटवारे के मान से है। यह भूमि मेरी भूमिस्वामी स्वत्वों की है। मेरे शायलातदार खाले पर नामांकित हैं किन्तु हमारा बापसी तोर से बटवारा मोके पर भूमि की है और निम्न वर्णित भूमि मेरे हिस्से व कब्जे वाली भूमि है।

हस भूमि मे मेरे सिवाय अन्य किसी का कोई भी प्रकार का कोई हक व हिस्सा या शरकत नहीं है। और किसी का भी कोई 'पदसल' किसी प्रकार का नहीं है।



Handwritten signature or initials in Hindi script.



२.

फिलहाल यह भूमि हर प्रकार के गिरवी, बिक्री, दान, जमानत, कर्ण, मन्टेनेन्स के चार्ज, तकावीकरण, बैंकों के कर्ण, अन्य किसी के सोदे, कब्जे वगैरह से शुद्ध व ठीक पवित्र स्थिति में है।

चूंकि मुझ से खेती का कार्य बनता नहीं है और वाजकाल में गांव पर रहता भी नहीं हूँ। मैं इन्दौर में रहता हूँ और अपना रोजगार घंघा करता हूँ। इसलिये नेरुगुराड़िया स्थित निम्न वर्णित भूमि खरीददार मदनलालजी को रु २७०००, सत्ताईस हजार रूपयों में विक्रय करने का सोदा क्रिया और यह क्रय बाजार मूल्य से बहुत अच्छी कीमत मुझे मिली है। एवं क्रय के दूकते रु २७०००, सत्ताईस हजार रुपये मैंने घर पर ही नगदी पेश्टर में लेकर प्राप्त कर लिये हैं। जिनका मिलना मैं स्वीकार करता हूँ। अब इस विक्रयपत्र के रजिस्ट्रेशन के समय श्रीमान् सब रजिस्ट्रार साहब के समदा कुछ भी एक पेशा तक लेना अकाया नहीं रह गया है।

अतः हँदियों के स्वस्थ व स्थिर बुद्धि की अवस्था में अपनी इच्छा और प्रसन्नता से बगैर किसी के दबाव या रुचि दिलाने आदि के नीचे लिखी सर्वे नंबरों व दौत्रफल वाली ग्राम नेरुगुराड़िया स्थित भूमि अमला इस भूमि से संबंध रखने वाले समस्त स्वत्व व अधिकारों के सहित किसी वस्तु या स्वत्व को छोड़े बिना खरीददार को विक्रय की व बेची और बेची गई भूमि पर खरीददार को अपनी तरह पूर्ण रूप से भूमिस्वामी अधिपति मालिक बना दिया व अपना हर प्रकार का स्वत्व व अधिकार बेची गई भूमि पर से उठा लिया।

B. S. Barua

25
17/6/75

श्री. महाशय्यालयां द्याजीराम, फा. 1/1/74
अतीत विषय के लिए
लखनऊ, फतेह गार्ड रोड


सब डेप्युटी ऑफिसर
4 गृह (स. प्र.)



आकांक्षित की संख्या 19 नं. 181
- 1305/1975 का ध्यान है।

विषय: ~~...~~
...
... 26/12/74 ...
...
...
...
...
...
...
... 1/1/75 ...

① गणना कार्य की गति - संशुद्धि
② अंतिम की संशुद्धि - 1/1/75

...
... 8 JUN 1975

...



3.

मैंने यह भूमि वैध आवश्यकता के लिये बेची है। क्योंकि मैं मेरे परिवार का सब से बड़ा पुरुष सदस्य होकर परिवार का कर्ता व मैनेजर हूँ। इस हैसियत से भी यह विक्रय किया है। और परिवार के हित के लिये घंघे के निमित्त मुझे रूपयों की जरूरत है। एवं नेउगुराडिया की इस अर्पित भूमि से मुझे विशेष लाभ नहीं मिलता है, इसलिये इस भूमि को विक्रय करना हितकर होने से वैध आवश्यकता के लिये वैध रूप से यह भूमि मैंने क्रेता को अच्छी कीमत में बेची है।

अब यदि मेरा कोई साजो या शरीक वारिस आदि पैदा होकर किसी किस्म का दावा बेची गई भूमि के प्रति करे तो मैं उसका उत्तरदाता हूँ। मेरे साजो या शरीक वारिस आदि के दावा करने से या मेरे अधिकार-दोष के कारण अथवा अन्य किसी भी कारण से समस्त बेची गई भूमि या उसका कोई भाग खरीददार के कब्जे और अधिकार से निकल जावे या इस प्रकार के किसी दावा करने से या किसी भार या ऋण के कारण कुछ रूपया खरीददार को अदा करना पड़े तो उन्हें अधिकार होगा कि वे विक्रय का बूकला रूपया लगा हुआ रूपया और व्यय व हानि जो उठानी पड़े वह सब बेची गई भूमि से मुझे विक्रेता से स्वतः से व मेरी दीगर किसी भी प्रकार की जायदाद से जिस प्रकार भी हो सके वसूल करले। मैं कोई विरोध नहीं होगा।

कब्जा स्तर बेची गई भूमि का मोके पर खरीददार को सुपुर्द कर चुका हूँ। अब खरीददार अपने वंशपरंपरा तक अपनी इच्छानुसार मोल लेती हुई भूमि का उपयोग व उपयोग लेवे।

M. S. Basche



8.

बेचो गई भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

यह भूमि ग्राम नेलगुराडिया त. म. न. में स्थित है। यह भूमि बसिंदित है।

सर्वे नं. ख. नं. लगान

३४ धकि , ४-६०२ ५१-७९

इस भूमि के विक्रय करने से विक्रेता को और मोल लेने से खेता को सीलिंग स्वट की बाधा नहीं आती है। अब सराददार को अधिकार होगा कि वह मोल ली हुई भूमि पर अपना नामान्तरण करवाले।

नामान्तरण की कार्यवाही में मैं विक्रेता पूर्ण सहयोग करूंगा। व इस के लिये सदा बाध्य रहूंगा। व बटे नंबर कार्यवाही भी पूर्ण करा दूंगा।

यह विक्रयपत्र व इस की तमाम शर्तें मुझ विक्रेता के समान मेरे वारिसों आदि पर समान रूप से बन्धनकारक रहेंगी व आप खेता के समान आपके वारिसों को इसके अधिकार व लाभ समान रूप से प्राप्त रहेंगे।

मुझ पर इस भूमि संबन्धी कोई शासकीय तोजी जादि द्रव्य भी देना शेष नहीं है।

J. S. Behar

Handwritten scribbles and numbers at the top of the page, including the number '25'.

भारतीय प्रजासत्ताक
संविधान

18 JUN 1975

भारत अधिनियम
क्रमांक 26.0. 1975
322



Handwritten signature: J. Galyat

292 = 10
90 = 10

302 = 10

Handwritten signature

FOR REGISTRAR
HOWRAH

PROPOSED SITE PLAN FOR INDUSTRIAL USE ON LAND KHASRA NO. 34/1/2 AT VILLAGE NAUGURADIA TEHSIL MIHOW & DISTRICT INDORE.

LAND OWNERS -
SHRI MADANLAL S/O SHRI GHASIRAM PATIDAR

APPLICANT ID:- INDELP/30032/647

AREA STATEMENT

TOTAL LAND AREA	11406.00 SQ.MT.
AREA UNDER PRO. 18.00 M ROAD	177.21 SQ.MT.
NET PLANNING AREA	11222.79 SQ.MT.
MAXIMUM PERMISSIBLE GROUND COVERAGE	60%
MAXIMUM PROPOSED GROUND COVERAGE	3935.34 SQ.M. 35.06%
MAXIMUM PERMISSIBLE F.A.R.	1:1.00
OPEN PARKING AREA	1632.50 SQ.MT.
OPEN AMBITY AREA	1122.27 SQ.MT.
SERVICE AREA	112.22 SQ.MT.
MAXIMUM HEIGHT	18.00 MT.
M.O.S.	FRONT 12.00 MT.
	OTHER SIDES 9.00 MT.
	REAR SIDE 9.00 MT.

STATEMENT OF LAND AREA

S.NO.	NAME OF LAND OWNER	KH.NO.	AREA
	SHRI MADANLAL S/O SHRI GHASIRAM PATIDAR	34/1/2	1140 HA
		TOTAL	1140 HA



PARKING REQUIRED
PRO. RT.P. AREA = 7000.00 SQ.M
BL.P. AREA 130.00 SQ.MT. 7000.00/1.00.00 = 47.00 X/E/L
AREA REQUIRED FOR ONE VEHICLE IN OPEN AREA = 37.00 SQ.M
AREA REQUIRED FOR VEHICLE PARKING (A) 15 X 47 = 1175.00 SQ.M
EXTRA PARKING AREA (GENERAL) (1.0) 1.075 X 25 % = 293.35 SQ.M
EXTRA AREA REQUIRED (C) 1.5087 SQ X (600/1000) = 183.75 SQ.M
TOTAL OPEN PARKING AREA AS REQUIRED (A+B+C) (1175.00+293.35+183.75) = 1652.50 sq.m

SCALE: 1 : 500
OWNERS SIGN

ENGINEERS SIGN

ARCHITECT
PRATIK RUNWAL
LIC. No. CA/2020/125763
Mch. No. 082/11/192160

KHASRA PLAN
SCALE: 1 : 4000
34/1/2



Validity unknown
Digitally Signed by SHIV
KANT MUDGAL
Date: 29-05-2023 18:05:19

PROJECT:-
PROPOSED PROJECT OF TYPE - I
1294X2+1312X2 = 5212.00MT MULTI
COMMODITY/MULTI CHAMBER /
TEMPERATURE COLD STORAGE

AT VILLAGE NEVGURADIYA
KH.NO. 354/4

Teh. Dr. Ambedkar Nagar
Dist. INDORE (M.P.)

SHRADDHA ICE AND COLD

Partner's:-

1. M. GADHAV PATIL
2. M. DASHRATH PATIL
3. M. MANUJ PATIL
4. M. DEEPAK PATIL

AREA STATEMENTS:-

LAND AREA - 0.759 Hect (7590.00 SQMT)

- PROPOSED**
- OFFICE - 504.0
 - CHAMBER NO.1,2,3,4 - 48,304.00
 - DRY WAREHOUSE - 40,000.00
 - SERVANT QUARTER - 2004
 - MACHIN ROOM - 21,400.00
 - CONDENSOR TANK AT F.F. - 500.00
 - 71,000.00 SQMT

GENERAL NOTES AND SPECIFICATION

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MT.
2. DIMENSIONS OR AMBIGUOUS DIMENSIONS ARE TO BE CLARIFIED FROM THE ENGINEER'S OFFICE.
3. DRAWINGS ARE NOT TO BE SCALED. ONLY WRITTEN DIMENSIONS ARE TO BE FOLLOWED.

REVISION NO.	DATE	CHECKED BY	NOTED	SHEET NO
001				PT-1


SHEET TITLE: SUBMISSION DRAWING



L.N. SRINIVAS
CHARTERED ENGINEER
AM-395837-7

OWNER SIGN
L.N. Srinivas
CHARTERED ENGINEER NO. AM 395837-7


PATEL CONSULTANTS & Engineers
Architect
116-Navarang Plaza Sapana - Sangeeta Road Indore
Phon - 98260-33308
Mob. - 98268-33306




SITE PLAN



NORTH



PLAN



SECTION AT A-A

FRONT ELEVATION

PROPOSED SITE PLAN FOR INDUSTRIAL USE ON LAND KHASRA NO. 354/1, 354/2 AT VILLAGE NAUGURADIA TEHSIL MHOW & DISTRICT INDORE.

LAND OWNERS :-
SHRI MADANLAL S/O SHRI GHASIRAM PATIDAR

APPLICANT ID :- INDLP/00023646

AREA STATEMENT	
TOTAL LAND AREA	1993.00 SQ.MT
NET PLANNING AREA	1993.00 SQ.MT
MAXIMUM PERMISSIBLE GROUND COVERAGE	60%
PROPOSED GROUND COVERAGE	60.33% SQ.M
MAXIMUM PERMISSIBLE F.F.P.	1:1.00
OPEN PARKING AREA	4679.41 SQ.MT
AMINITY AREA	1993.00 SQ.MT
OPEN SERVICE AREA	1993.00 SQ.MT
AREA UNDER 18.00 M WIDE ROAD	2390.45 SQ.MT
MAXIMUM HEIGHT	18.00 MT
M.O.S	FRONT 21.00 MT OTHER SIDES 10.50 MT REAR SIDE 10.50 MT

STATEMENT OF LAND AREA			
S.No	NAME OF LAND OWNER	KIND	AREA
1	SHRI MADANLAL S/O SHRI GHASIRAM PATIDAR	354/1	1,063.11 P.
2		354/2	0,929.89 P.
		TOTAL	1,993.00 HA

PARKING BY OBJECT
TOTAL PLP AREA 1,993.00 SQ.MT (890.00 X 1.00) 1,993.00
AREA REQUIRED FOR ONE VEHICLE IN OPEN AREA 25.00 SQ.M
AREA REQUIRED FOR VEHICLE PARKING (45.22 X 1.33) 25.22 SQ.M
EXTRA PARKING AREA (GENERATED) 1,032.55 X 1.33 = 801.25 SQ.M
EXTRA AREA REQUIRED (C.F. 3.50 X 20 X 1993.00/1000) = 231.16 SQ.M
TOTAL OPEN PARKING AREA REQUIRED (A+B+C) = 4679.41 SQ.M
(3322.00 X 1.33 = 4418.36)

SCALE = 1 : 500




OWNERS SIGN

PRINTERS SIGN

Validity unknown

Digitally Signed by SHIV KANT MUDGAL

Date: 19-06-2023 18:33:36



कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला Indore मध्य प्रदेश
क्रमांक INDLP300323647/ दिनांक / 18/MAY/2023

प्रति,

सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत-नेउगुराडिया तहसील- डॉ अंबेडकर नगर(महूँ) जिला इन्दौर (म.प्र.)

विषय:- ग्राम नेउगुराडिया, तहसील डॉ अंबेडकर नगर, महूँ, जिला इन्दौर के खसरा क्रमांक 34/1/2 कुल रकबा 1.140 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक उपयोग हेतु अभिमत बाबद्।

संदर्भ- आपका पत्र दिनांक 03/03/2023

उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर भू-स्वामी की उपस्थिति में कार्यालय के अन्वेषक द्वारा भूमि का निरीक्षण किया गया, जिसमें भूमि मौके पर रिक्त है। प्रष्नाधीन भूमि के दक्षिण-पश्चिम दिशा में महूँ से ग्राम बगोदा को जाने वाला मार्ग स्थित है। जिसकी चौड़ाई 18.00 मी. है प्रष्नाधीन भूमि उक्त मार्ग से सीधी पहुँच उपलब्ध है। अतः मार्ग को निरंतर रखते हुये मार्ग मध्य से 9.00/9.00 मीटर भूमि दोनो ओर मार्ग विस्तार हेतु खुली छोड़ना आवश्यक है, जिस पर किसी भी प्रकार का निर्माण/विकास कार्य मान्य नहीं होगा।

ग्राम नेउगुराडिया, तहसील डॉ अंबेडकर नगर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13 के तहत गठित निवेश क्षेत्र में शामिल है। जिसके भू उपयोग का निर्धारण नहीं हुआ है। अतः आपके संदर्भित पत्र एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ग्राम नेउगुराडिया, तहसील डॉ अंबेडकर नगर, महूँ, जिला इन्दौर के खसरा क्रमांक 34/1/2 कुल रकबा 1.140 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक उपयोग संलग्न स्थल मानचित्र के अनुसार किया जाता है, तो निम्न शर्तों के तहत इस कार्यालय का अभिमत प्रदान किया जाता है:-

1. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा:-

अ- म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

ब- प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

स- अन्य किसी नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत कोई अनुमति/अनुज्ञा अनिवार्य हो तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

2. प्रष्नाधीन भूमि पर नियोजन मापदण्ड निम्नानुसार रहेंगे-

अ- प्रस्तावित ग्राउण्ड कवरेज मानचित्र अनुसार 35.06 प्रतिशत अधिकतम।

ब- एफ.ए.आर. 1:1.00 अधिकतम।

ब- भवन की ऊँचाई - 18.0 मीटर अधिकतम।

स- एम.ओ.एस. संलग्न मानचित्र अनुसार।

द- पार्किंग - मानचित्र अनुसार 1652.50 वर्ग मीटर या अधिक।

3. म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 के नियम 52 के अन्तर्गत प्रावधानों का पालन कर संबंधित विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार विकास किया जावेगा।

4. संलग्न स्थल मानचित्र को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावे।

5. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81(4) के प्रावधानों के अनुसार निर्मित होने वाले भवनों में शहरी जल प्रदाय प्रणाली रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके पश्चात् ही भूखण्ड पर जल, विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्थाओं के द्वारा किया जा सकेगा।

6. संलग्न स्थल मानचित्र के आधार पर विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा विकास कार्य उसकी देख-रेख में करना होगा। इन विकास कार्यों में मूलभूत सुविधाएं जैसे- जल-मल निकासी की व्यवस्था एवं वर्षा के जल की निकासी विद्युत व्यवस्था आदि सम्मिलित है।

Validity unknown

Digitally Signed by SHIV
KANT MUDGAL

Date: 26-05-2023 17:33:55

7. अतः संलग्न स्थल मानचित्र में दर्शाने अनुसार मार्ग की चौड़ाई नियोजन की दृष्टि से 18.00 मीटर रखते हुए मार्ग मध्य से 9.00 मीटर चौड़ी भूमि मध्य मार्ग से दोनो ओर मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखना होगा।
8. भवन का निर्माण भूकंप अवरोधी तकनीकी के अनुसार एवं निर्धारित मानकों के अनुसार करना होगा। किसी भी प्रकार का डिजाईन फाल्ट अथवा जारी अभिमत के विपरित निर्माण की अव्यवस्था में आवेदक की जवाबदारी होगी।
9. यह अभिमत अहस्तांतरणीय होगा तथा अधिमन्य उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होंगे।
10. इस अभिमत का उपयोग किसी प्रकार के ऋण प्राप्त करने हेतु तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक की आवेदक भूमि व्यववर्तन तथा म.प्र. ग्राम पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत अनुमतियाँ प्राप्त नहीं कर लेता।
11. संलग्न स्थल मानचित्र में दर्शित चतुःसीमाओं का सीमांकन म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत कराना आवश्यक होगा तथा आंतरिक स्थल मानचित्र का सीमांकन लायसेंसधारी वास्तुविद/इंजीनियर से कराना होगा। यदि सीमांकन पश्चात संलग्न स्थल मानचित्र में कोई परिवर्तन होता है तो आवेदक को संबंधित स्थल मानचित्र पर इस कार्यालय से अभिमत प्राप्त करना होगा।
12. फायनेंस एक्ट 1994 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
13. यह अभिमत आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वामी दस्तावेजों एवं राजस्व अभिलेख के आधार पर नियोजन की दृष्टि से दिया गया है। किसी भी प्रकार के भू-स्वामित्व, सीमा अथवा मार्ग संबंधी विवाद होने पर या दी गई जानकारी असत्य पाए जाने पर या उक्त अभिमत की शर्तों का उल्लंघन होने पर अभिमत स्वतः प्रभावशून्य माना जावेगा।

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश,

जिला Indore म.प्र.

क्रमांक INDLP300323647/ दिनांक / 18/MAY/2023

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण निवारण मण्डल, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद सीमा शुल्क एवं सेवाकर, माणिकबाग पैलेस, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक आयुक्त, सेवाकर प्रभाग कार्यालय इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत नेउगुराड़िया, तहसील डॉ अब्दुलकर नगर जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. आवेदक श्री मदनलाल पिता श्री धीसाराम निवासी- ग्राम कोदरिया तह महुँ जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश,

जिला Indore म.प्र.

Validity unknown

Digitally Signed by SHIV
KANT MUDGAL
Date: 26-05-2023 17:33:55

1. भूमि की अवस्थिति	(क) राष्ट्रीय राजमार्ग से दूरी से अनाधिक (ख) राज्य राजमार्ग से दूरी से अनाधिक (ग) क्या संहिता की धारा 165 के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर है? (घ) क्या संहिता की धारा 165 के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र निम्न क्षेत्र में है? (ङ) क्या पारत के श्रृंखला द्वारा जारी अधिसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा) आदेश, 1977 में वर्णित अधिसूचित क्षेत्र में है?
2. खाने का आकार	(क) लघु कृषक (ख) सीमांत कृषक (ग) अन्य
3. मकान मालिक	(क) नाबालिग (ख) मूर्ति अथवा पुर्त संस्था (ग) संहिता की धारा 166 की उपधारा (6) के अधीन घोषित आदिम जनजाति (घ) मध्यप्रदेश मूदान यश अधिनियम 1968 (क्रमांक 28 अम 1968) की धारा 33 में विनिर्दिष्ट (ङ) संहिता की धारा 158 की उपधारा (3) के अधीन भूमिस्वामी अधिकार में भूमि धारण की गयी है
4. क्या भूमि बंधक रखी गयी है? यदि हाँ तो बंधकदार का नाम दीजिए	
5. क्या भूमि में अधिकार पैतृक है? अथवा स्वअर्जित	

Mountain Fold

भू-अधिकार पुस्तिका

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख



प्रारूप चार (नियम 6 देखिए)
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सूचिका तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



CLR No : 11055926771
भूमिस्वामी समूह आईडी क्रमांक :
भूमिस्वामी नाम : मदनलाल
माता/पिता/पति का नाम : वासीराम
ग्राम/गांव का नाम : मेकपुराडिया
पटवारी इलाका क्रमांक / सेक्टर क्रमांक : मेकपुराडिया
राजसूची : डी अम्बेडकर नगर
जिला : इन्दौर

भाग - एक (क)
भू-अभिलेख